ई–मेल/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प.12 (6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 2/02/18

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2018–19 से प्रभावी प्रवेश प्रकिया के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण हेतु पूर्व में दिनांक 10.04.2017 एवं 19.09.2017 को जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते है । ये दिशा निर्देश शैक्षिक सत्र 2018–19 से प्रभावी होगें । इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी है :–

1. व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से इन दिशा निर्देशों के आरटीई वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें ।
2. एन.आई.सी. से सम्पर्क कर आरटीई वेब–पोर्टल पर उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें ।
3. दिशा निर्देशों के संबंध में टाईम फ्रेम आदि के लिए आवश्यक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें, जिससे सभी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अभिभावक एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब जानकारी मिल सकें ।
4. प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण की नियमित मॉनिटरिंग करावे जिससे शैक्षिक सत्र 2018–19 में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त गतिविधियॉ समय पर सम्पन्न हो सकें ।

संलग्न :– दिशा निर्देश

भवदीय,

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. आयुक्त, राप्राशिप,शिक्षा संकुल, जयपुर ।
4. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली

www.rajteachers.com

वरिष्ठ शासन उप सचिव

C:\Users\user\Desktop\A-k- Gupta\Genrel Latter.docx